188 28 पट्टायुक्त/ स्व पट्टायुक्त आवास से संबंधित सुधार कार्य और रखरखाव प्रभारों की प्रतिपूर्ति

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 25.06.1999 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/49/98–डीपीई (डब्ल्यूसी) के पैरा 10 की ओर ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि ''पट्टायुक्त आवास के संदर्भ में लोक उद्यमों के निदेशक मंडल को ऐसे कार्यपालकों, जो इस सुविधा के लिए पात्र हैं, के लिए पर्याप्त स्तर के पट्टायुक्त आवास उपलब्ध कराने और उनकी समीक्षा करने के लिए पर्याप्त स्वायत्ता होगी''।

2. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा इस विभाग के ध्यान में यह लाया गया है कि कुछ सीपीएसई केवल अधिप्रमाणन आधार पर ही अपने कार्यपालकों को अनिवार्य सुधार का, रखरखाव, छोटे–मोटे परिवर्तन और आवधिक रूप से पुताई/पेंटिंग आदि के मद पर दो माह के किराये की पात्रता सीमा तक राशि की प्रतिपूर्ति करते आ रहे हैं। सी एंड एजी ने यह पाया है कि चूंकि अपेक्षित सुधार कार्य और पट्टा युक्त आवासों के रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित पट्टेदार की है, अतः महज अधिप्रमाणन आधार पर एक वित्तीय वर्ष में दो माह का पट्टा किराया की सीमा तक राशि की प्रतिपूर्ति करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। सी एंड एजी की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि सीपीएसई स्व पट्टे के तहत मकानों को पट्टे पर देने की भी अनुमति प्रदान कर रहे हैं जैसे कि ज्यादातर मामलों में पट्टेदार और लाभार्थी, जिसके लिए आवास किराये पर लिया गया है, एक ही व्यक्ति हो। सी एंड एजी की रिपोर्ट में व्यक्त की गई इस चिंता का सीपीएसई के प्रबंधन की ओर से व्यवहार्य जबाब प्राप्त नहीं हुआ है और यह निष्कर्ष निकाला गया है कि सीपीएसई द्वारा एक बार समेकित पट्टे के भाग के रूप में इसी मद (सुधार कार्य और रखरखाव) पर और दूसरी बार अपने ऐसे कार्यपालकों, जिन्हें पट्टायुक्त आवास उपलब्ध कराए गए हैं, को इसकी प्रतिपूर्ति (दो माह का पट्टा किराया) के रूप में व्यय करना औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता है।

3. इस बात का उल्लेख किया जाए कि पहले भी पट्टायुक्त आवास के मामलों में कुछ अनियमितताएं सरकार के संज्ञान में आई थीं। डीपीई ने सीपीएसई को एक प्रतिलिपि के साथ प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को अपने दिनांक 05.06.2003 के कार्यालय ज्ञापन के जरिए दिशानिर्देश जारी किए, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ इस बात की जानकारी दी गई कि ''यद्यपि लोक उद्यमों के निदेशक मंडल को अपने कार्यपालकों के लिए पर्याप्त स्तर के पट्टायुक्त आवास का प्रावधान करने और उसकी समीक्षा करने के लिए पर्याप्त स्वायत्ता/सहुलियत प्राप्त है, परंतु निदेशक मंडल को यह देखने के प्रयोजन से पर्याप्त नियंत्रण रखना चाहिए कि संबंधित अधिकारियों को कोई अवांछनीय लाभ न पहुंचाया जाए।''

4. सी एंड एजी द्वारा उठाई गई आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए और डीपीई के दिनांक 25.06.1999 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 10 में निहित प्रावधानों के अनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि सीपीएसई के निदेशक मंडलों को पट्टा युक्त आवासों के लिए सुधार कार्य और रखरखाव प्रभारों के मद पर अपने कार्यपालकों को

पट्टे किराए की कोई भी राशि की प्रतिपूर्ति करने की अनुमति नहीं दी गई है। इस बात पर पुनः बल दिया जाता है कि पट्टायुक्त आवास संबंधित कार्यपालकों के लिए अतिरिक्त आय का कोई स्रोत नहीं बनना चाहिए।

(डीपीई का. ज्ञा. सं. 2 (27)/2005.–डीपीई (डब्ल्यूसी)–जीएल–**XIII,** दिनांक 20 मई 2009)

****